

नगर निगम, जयपुर ग्रेटर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम २००९ की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.:

LSG/JAIPUR GREATER/FIRENOC/2023-24/19281

जारी दिनांक:

28-JUL-2023

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती:

RAMAKANT SHARMA

आवेदक का पता:

R A J E E V
VIHARAOPRAJATPATHNEWSANGANERROADJAIPUR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कायदा

आपके भवन YUGANTAR INTERNATIONAL SCHOOL, A, RAJEEV VIHAR A, OPP RAJAT PATH NEW SANGANER ROAD, JAIPUR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार विभिन्न शर्तों पर फावेंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि लिये ले एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अथवा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व शिक्षक/टिचर गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाया आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयवधि में रीफिल करना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण विना जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यालय नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंका पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यालय स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी कारवाही जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन को अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जाये।
11. रोप लेडर व दो दरवा भवन के सभी दरवा में टावर कि ऊंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बाह्य साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अफोटोप रेस्टोरेट को लिए मान्य नहीं है। जिस भाग को लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर अफोटोप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

अग्निशमन अधिकारी

नगर निगम, जयपुर ग्रेटर


MANAGER
Yugantar International School
JAIPUR


PRINCIPAL
Yugantar International School
JAIPUR

Validity unknown

Digitally signed by Santa
Designation : DC/EO/Commissioner
Date: 2023.07.28 15:46:31 IST
Reason: Approved

